

सेवा में,

प्रबन्धक,

लखनऊ पब्लिक स्कूल

सेक्टर-आई0 आशियाना,

एल0डी0ए0 कालोनी कानपुर रोड, लखनऊ।

पत्रांक: D-1096/MA

दिनांक: 23/12/2019

विषय : राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2005 के अनुरूप सुरक्षा के प्रमाण-पत्र के सन्दर्भ में।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक दिनांक 16.11.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि आपके पत्र व उपलब्ध कराये गये छाया-प्रति अभिलेखों का परीक्षण किया गया है, जिसमें निम्न तथ्य प्रकाश में आये :-

- (1) लखनऊ पब्लिक स्कूल, सेक्टर-आई, आशियाना एल0डी0ए0 कालोनी कानपुर रोड लखनऊ का विल्डिंग प्लान/मानचित्र कार्यालय विकास प्राधिकरण विकास क्षेत्र लखनऊ के परमिट सं0-40078 दिनांक 21.05.2014 द्वारा हस्ताक्षरित करके प्रस्तुत किया गया है तथा (मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ) के पत्र सं0-42/एफएस/2010 दिनांक 16.04.2019 द्वारा संचालन का उल्लेख किया गया है जो संलग्न के रूप में कार्यालय में प्रेषित किया गया है।
2. लखनऊ पब्लिक स्कूल, सेक्टर-आई, आशियाना एल0डी0ए0 कालोनी कानपुर रोड लखनऊ को अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में (मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ) को सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र सं0-42/एफएस/2010 दिनांक 16.04.2019 द्वारा निर्गत है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर लखनऊ पब्लिक स्कूल, सेक्टर-आई एल0डी0ए0 कालोनी आशियाना लखनऊ विद्यालय भवन का राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2005 के अनुरूप विद्यालय की उपयुक्तता हेतु अनुबन्धात्मक अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न विशिष्ट शर्तों के अनुसार निर्गत किया जाता है।

1. भवन स्वामी/प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि वर्णित स्थल पर विद्यालय का संचालन किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार का आंतरिक/बाह्य परिवर्तन, विस्तार एवं स्थल परिवर्तन की दशा में नगर निगम लखनऊ से पुनः अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।
2. आप द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त पूर्णता प्रमाण-पत्र एक माह के अन्दर प्रेषित किया जायेगा।
3. भारतीय मानक संस्थान के कोड, नेशनल बिल्डिंग कोड एवं सुसंगत गाइड लाईन पर आधारित स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा अनुमोदित स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं भूकम्परोधी समस्त प्राविधानों के साथ


MANAGER
LUCKNOW PUBLIC SCHOOL
L. U. N. O. W.


PRINCIPAL
LUCKNOW PUBLIC SCHOOL
L. D. A. Color
Lucknow.


विद्यालय भवन का उपयोग शैक्षिक हेतु सुरक्षित किया जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व भवन स्वामी/प्रबन्धक का होगा।

4. आप द्वारा कार्यालय में जमा किये गये मानचित्र में नियमों का उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में संबंधित वास्तुविद् तथा मानचित्र के विरुद्ध निर्माण पाये जाने की स्थिति में निर्माणकर्ता/भवन स्वामी/प्रबन्धक को उत्तरदायी माना जायेगा और दोनों ही स्थितियों में उसकी पुष्टि किए जाने की दशा में यह प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा। विचलित भाग का नियमानुसार शमन की कार्यवाही लखनऊ विकास प्राधिकरण से सुनिश्चित करें।
5. आप द्वारा जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सैनीटेशन सिस्टम, प्रकाश व्यवस्था, वेंटिलेशन आदि का प्राविधान नेशनल बिल्डिंग ऑफ इण्डिया 2005 के पार्ट-8 एवं 9 में निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।
6. आप द्वारा शारीरिक रूप से अशक्त विद्यार्थियों के लिए भवन सम्बन्धी संगत सुविधाएं जैसे कुर्सी तल तक पहुँच मार्ग, प्रवेश/निकास द्वारा को जोड़ने का गलियारा, सीढ़ी मार्ग, शौचालय, पेयजल इत्यादि हेतु आवश्यक प्राविधान किया जायेगा।
7. आप द्वारा विद्यालय भवन की छत एवं खुले स्थानों से प्राप्त होने वाले वर्षाजल को उपयुक्त रिचार्जिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से भूमिगत जल संरक्षण हेतु आवश्यक प्राविधान किया जायेगा।
8. आप द्वारा भू-प्रयोग प्रमाण-पत्र एक माह के अन्दर प्रेषित किया जायेगा।
9. आप द्वारा परिसर में समुचित हरित पट्टिका का विकास किया जायेगा।

कृपया नोट करें कि उपरोक्त में से किसी भी शर्त का अतिक्रमण/उल्लंघन किए जाने व पुष्टि होने की दशा में आपका अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।


 (डी०के० मिश्रा)
 सहायक अभियन्ता
 नगर निगम, जोन-8


 MANAG
 LUCKNOW PUBLIC SCHOOL
 LUCKNOW


 PRINCIPAL
 LUCKNOW PUBLIC SCHOOL
 Sector-I L.D.A. Colony
 Anupur Road, Lucknow

डी०के० मिश्रा
 सहायक अभियन्ता